न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 546 सन 2022

अनवान :–

1. भागीरथ पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी डीग तहसील व जिला सिरसा।

वादी

बनाम

1. जयपाल पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी डीग तहसील व जिला सिरसा
2. भादरसिह पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी डीग तहसील व जिला सिरसा
3. डोगरसिह पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी डीग तहसील व जिला सिरसा
4. रामपाल पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी डीग तहसील व जिला सिरसा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 15/07/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 41/38 की कुल 0.2530हैक व रोही मौजा चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 71/71 की कुल 3.2890हैक व रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 24/21 की कुल 1.7710हैक व खाता संख्या 119/113 की कुल 11.3860हैक में से वादी प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक के नाम 1/30 हिस्सा , व खाता संख्या 146/141 की कुल 1.7710है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम व रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 22/23 की कुल 2.0240हैक वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/30 हिस्सा व खाता संख्या 21/22 की कुल 2.0240हैक भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है ।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 आपस में भाई है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ,4 पंजाब में रहते है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने आपसी सहमति से परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि एवं पंजाब की भूमि का बाहमी बटवारा किया गया जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 ,4 ने पंजाब डीग की भूमि रखी जाकर वाद भूमि में अपने हक हिस्सा का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है तथा वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने अपने वाद भूमि का काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा कर लिया जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है उसी अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को कई मर्तबा कहा की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के बाहमी बटवारा के अनुसार वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनो तक आज कल आज कल करते किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 आपस में भाई है जिन्होने भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवारिक समझौता किया

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

गया जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 ,4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया जाकर डीग में भूमि प्राप्त कर ली वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसका बाहमी बटवारा किया हुआ है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 41/38 की कुल 0.2530हैक व रोही मौजा चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 71/71 की कुल 3.2890हैक व रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 24/21 की कुल 1.7710हैक व खाता संख्या 119/113 की कुल 11.3860हैक मे से वादी प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक के नाम 1/30 हिस्सा , व खाता संख्या 146/141 की कुल 1.7710है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम व रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 22/23 की कुल 2.0240हैक वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/30 हिस्सा व खाता संख्या 21/22 की कुल 2.0240हैक भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है ।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 आपस में भाई है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ,4 पंजाब में रहते है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने आपसी सहमति से परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि एवं पंजाब की भूमि का बाहमी बटवारा किया गया जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 ,4 ने पंजाब डीग की भूमि रखी जाकर वाद भूमि में अपने हक हिस्सा का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है तथा वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने अपने वाद भूमि का काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा कर लिया जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है उसी अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 41/38 की कुल 0.2530हैक व रोही मौजा चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 71/71 की कुल 3.2890हैक व रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 24/21 की कुल 1.7710हैक व खाता संख्या 119/113 की कुल 11.3860हैक में रो वादी प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक के नाम 1/30 हिस्सा , व खाता संख्या 146/141 की कुल 1.7710है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम व रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 22/23 की कुल 2.0240हैक वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/30 हिस्सा व खाता संख्या 21/22 की कुल 2.0240हैक भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 आपस में भाई है जिन्होने भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक समझौता किया गया जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 ,4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया जाकर बीग में भूमि प्राप्त कर ली वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसका बाहमी बटवारा किया हुआ है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही गौजा 25 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 41/38 के कुल खसरे 1 का कुल क्षेत्रफल 0.2530 है0 भूमि व रोही गौजा 21 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 71/71 के कुल खसरे 16 का कुल क्षेत्रफल 3.2890 है0 उपरोक्त दोनो खातो की भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे व रोही गौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 24/21 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 1.7710 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे व रोही गौजा 9 केएनएन के खाता संख्या 119/113 के कुल खसरे 55 का कुल क्षेत्रफल 11.3850 है0 भूमि व खाता संख्या 146/141 के कुल खसरे 11 का कुल क्षेत्रफल 1.7710 है0 भूमि व रोही गौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 22/23 के कुल खसरे 8 का कुल क्षेत्रफल 2.0240 है0 भूमि व खाता संख्या 21/22 के कुल खसरे 8 का कुल क्षेत्रफल 2.0240 है0 उपरोक्त चारो खातो की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को व0 हि0 व0 का बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादीगण का नाम व पता मुताबिक शिर्षक अर्जीदावा दर्ज किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 15/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. भागीरथ पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी डीग तहसील व जिला सिरसा।

वादी

बनाम

1. जयपाल पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी डीग तहसील व जिला सिरसा
2. भादरसिह पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी डीग तहसील व जिला सिरसा
3. डोगरसिह पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी डीग तहसील व जिला सिरसा
4. रामपाल पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी डीग तहसील व जिला सिरसा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 546 सन 2022 निर्णय दिनांक– 15/07/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 25 जेएसएन तहसील नोहर के के खाता संख्या 41/38 के कुल खसरे 1 का कुल क्षेत्रफल 0.2530 है0 भूमि व रोही मौजा 21 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 71/71 के कुल खसरे 16 का कुल क्षेत्रफल 3.2890 है0 उपरोक्त दोनो खातो की भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे व रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 24/21 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 1.7710 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे व रोही मौजा 9 केएनएन के खाता संख्या 119/113 के कुल खसरे 55 का कुल क्षेत्रफल 11.3850 है0 भूमि व खाता संख्या 146/141 के कुल खसरे 11 का कुल क्षेत्रफल 1.7710 है0 भूमि व रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी साम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 22/23 के कुल खसरे 8 का कुल क्षेत्रफल 2.0240 है0 भूमि व खाता संख्या 21/22 के कुल खसरे 8 का कुल क्षेत्रफल 2.0240 है0 उपरोक्त चारो खातो की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को ब0 हि0 ब0 का बतौर खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादीगण का नाम व पता मुताबिक शिर्षक अर्जीदावा दर्ज किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner